

प्रेषक,  
वी० एन० अग्रवाल,  
सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उ०प्र०, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: ०१-जनवरी, 2008

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में  
"सिटिजन इन्कारमेशन बोर्ड" लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सुश्री अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- एम०-11011/5/2007-एनआरईजीए॥ दिनांक: 12-12-2007 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार "सिटिजन इन्कारमेशन बोर्ड" समुचित स्थानों पर लगाये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी(जिला कार्यक्रम समन्वयक) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(वी० एन० अग्रवाल)  
सचिव

संख्या- G.I. 362(1)/38-7-2007 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सुश्री अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)  
अनुसचिव।